# मध्यप्रदेश राज्य वन नीति–2005

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

भोपाल

# अनुक्रमणिका


| अनुक्रमांक | विषय | पृष्ठ क्रमांक |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | प्रस्तावना | 1 |
| 2. | उद्देश्य | 3 |
| 3. | उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति | 4 |
| 3.1 | पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु वन क्षेत्रों का विस्तार एवं विकास | 4 |
| 3.2 | सीमांकन | 5 |
| 3.3 | वन सुरक्षा | 5 |
| 3.3.1 | अवैध कटाई | 5 |
| 3.3.2 | अतिक्रमण | 6 |
| 3.3.3 | वनभूमि पर उत्खनन एवं अन्य गैर वानिकी कार्य | 6 |
| 3.3.4 | अनियंत्रित चराई | 7 |
| 3.3.5 | अग्नि प्रबंधन | 7 |
| 3.3.6 | कीटों एवं रोगों से सुरक्षा | 7 |
| 3.4 | वन प्रबन्धन | 7 |
| 3.5 | शासकीय वनों में इमारती लकड़ी जलाऊ लकडी एवं बांस का उत्पादन | 8 |
| 3.6 | अकाष्ठीय वनोपज का उत्पादन, संवहनीय विदोहन, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन | 8 |
| 3.7 | औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय विदोहन | 9 |
| 3.8 | लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी | 9 |
| 3.9 | वनाधारित उद्योग | 11 |
| 3.10 | संयुक्त वन प्रबन्धन | 12 |
| 3.11 | अधिकार एवं रियायतें (निस्तार) | 13 |
| 3.12 | वनाश्रित समुदायों का विकास | 13 |
| 3.13 | वनाश्रित आदिवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण | 13 |
| 3.14 | जैव विविधता संरक्षण | 14 |
| 3.15 | वन्यप्राणी संरक्षण | 14 |
| 3.15.11 | वन्यप्राणी –मानव द्वंद को कम करना | 15 |
| 3.15.12 | वन्यप्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम | 16 |
| 3.16 | ईको–टूरिज्म | 16 |
| 3.17 | सूचना–प्रौद्योगिकी का उपयोग | 17 |
| 3.18 | अनुसंधान एवं विस्तार | 17 |
| 3.19 | मानव संसाधन विकास | 18 |
| 3.20 | प्रचार–प्रसार | 20 |
| 3.12 | वित्तीय व्यवस्था | 20 |
| 4 | अनुश्रवण एवं मूल्यांकन | 21 |

1. प्रस्तावना –

मध्यप्रदेश में वन क्षेत्र देश में सर्वाधिक है। जैव विविधता में समृद्ध होने तथा अनेक महत्वपूर्ण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र होने के कारण प्रदेश के वन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः देश के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन तथा जल संरक्षण में प्रदेश के वनों का विशिष्ट योगदान है। वन्य जीव संरक्षण में भी प्रदेश का अग्रणी स्थान है। प्रदेश के वन क्षेत्र का लगभग 11.4 प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य) वन्यप्राणी प्रबंनधन के अधीन है। देश के बाधों की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत एवं विश्व का लगभग 10 प्रतिशत मध्यप्रदेश में है, इसीलिए प्रदेश को ' टाईगर स्टेट' की संज्ञा दी गई है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 ने वन प्रबन्धन एवं सुरक्षा को नया आयाम दिया है। इस नीति के अनुसार वनों के पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय महत्व को सर्वोपरि माना गया है तथा वनाश्रित समुदायों के वनों पर अधिकार को प्राथमिकता दी गई है। वनों का प्रबन्धन बाजारोन्मुखी न होकर वनाश्रित समुदायों, विशेषकर आदिवासी महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों, के लिए जीविकोन्मुखी हुआ है।

राष्ट्रीय वन नीति की भावना के अनुरूप वनों के प्रबन्धन में मध्यप्रदेश अग्रणी रहा है। पिछले दशक में संवहनीय वन प्रबन्धन (सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट) में जन भागीदारी के किए गए प्रयासों से वनों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्तमान में प्रदेश का शत–प्रतिशत वन क्षेत्र वैज्ञानिक प्रबन्धन के अधीन है। वनाच्छादित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। देश के काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन में प्रदेश का सर्वाधिक योगदान है। साथ ही औषधीय प्रजातियों के पौधों के बढ़ते हुए सामाजिक एवं आर्थिक महत्व के दृष्टिगत इनका शासकीय वनों में संरक्षण, संवर्द्धन एवं विनाशविहीन विदोहन सुनिश्चित करने एवं निजी भूमि पर भी इनका उत्पादन बढ़ाए जाने की आवश्यता है। संयुक्त वन प्रबन्धन के माध्यम से वनाश्रित समुदायों, विशेषकर आदिवासियों, अन्य कमजोर वर्गों एवं महिलाओं, को वन प्रबन्धन एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका दी गई है। संवहनीय वन प्रबन्धन में जन भागीदारी के फलस्वरूप स्थानीय तकनीकी ज्ञान (इण्डीजीनस टैक्नीकल नॉलेज) का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। संयुक्त वन प्रबन्धन को अधिकाधिक जनाधारित बनाने एवं वनाश्रित समुदायों को अधिकाधिक लाभ देने हेतु समय–समय पर इस हेतु जारी शासन संकल्पों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया गया है।

बढ़ती जनसंख्या एवं विकास की आवश्यकताओं के फलस्वरूप काष्ठ एवं अकाष्ठीय वनोपज की निरन्तर बढ़ती मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने तथा शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु विस्तार वानिकी के क्षेत्र में भी प्रयास किये जा रहे है। विस्तार वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन संबंधी नियमों को सरलीकरण की आवश्यकता है। साथ ही किसानों की आवश्यकता के अनुरूप उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराने एवं वनावरण (ट्री–कवर) के विस्तार हेतु भी सघन प्रयासों की आवश्यकता है। निजी भूमि पर वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु लोक वानिकी कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भूमि पर स्थित वृक्षाच्छादित क्षेत्रों का प्रबन्ध योजना के आधार पर प्रबंधन कर सकता है।

वनाधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसा वैधानिक एवं प्रशासनिक वातावरण तैयार किया जाना आवश्यक है जिसके अंतर्गत वनाधारित उद्योग कच्चे माल की आपूर्ति हेतु पड़त भूमि एवं किसानों के सहयोग से उनकी निजी भूमि पर वृक्षारोपण कर सकें ताकि ऐसे उद्योग मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो सकें।

इन प्रयासों के बाद भी जैविक दबाव एवं संसाधनों की कमी के कारण कुछ क्षेत्रों में वनों का ह्रास हुआ है, विशेषकर अर्ध–शुष्क (सेमी–एरिड) क्षेत्रों में वनों की स्थिति खराब हुई है जिसके फलस्वरूप मृदा क्षरण, बीहडों का विस्तार एवं मरूस्थलीकरण हो रहा है। नदियों में जल प्रवाह एवं भूमिगत जल भण्डार भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए है। अतः वनों में ''जलागम (वाटरशैड) आधारित प्रबन्धन'' किया जाना आवश्यक हो गया है।

वनों के समुचित प्रबन्धन हेतु प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर समानुपातिक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्राकृतिक संसाधन आंकलन (नेचुरल रिसोर्स एकाउन्टिग) पद्यति प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है ताकि वनों से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभों के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के अनुरूप ही वन संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु संसाधन उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा सकें। साथ ही आर्थिक एवं अन्य संसाधनों के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने एवं अन्य स्त्रोतों जैसे कि पर्यावरणीय कर, जल कर, बाह्य अनुदान, ऋण आदि से भी संसाधन जुटाए जाने की आवश्यकता है। अत्यधिक बिगड़े हुए शासकीय वनों की उत्पादकता बढाने हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की भी आवश्यकता है।

विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वनोत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप वनोत्पादों के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रदेश के वनोत्पादों का समुचित मूल प्राप्त हो सके।

शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं प्राकृतिक सौन्दर्यीकरण तथा हरियाली बढ़ाने की दृष्टि से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। इस हेतु विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, स्वयं–सेवी संस्थाओं तथा जनसामान्य का समुचित सहयोग लिया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रदेश के विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों जैसे वैट लैण्ड, सेक्रेड ग्रोव, वृक्षाच्छादित क्षेत्र, पहाडी आदि को संरक्षित करने की भी आवश्यकता है।

वर्तमान में वन कर्मियों के समक्ष अनेक नए कार्य एवं चुनौतियां है। ऐसी स्थिति मेंयह नितांत आवश्यक है कि उन्हें इन कार्यों एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल एवं संसाधन उपलब्ध कराकर सक्षम किया जाए। इस दृष्टि से मानव संसाधन विकास के प्रयासों को एक नई दिश देनी होगी। आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने के लिए वन प्रबन्धन में सूचना प्रौद्योगिकी को भी अंगीकार किए जाने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्पष्ट दृष्टिकोण एवं रणनीति की आवश्यकता है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश के पारिस्थितिकीय, आर्थिक, सामाजिक एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग करते हुए वनों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय उपयोग के लिए युक्तियुक्त वैधानिक एवं संस्थागत ढांचे से वनों का प्रबन्धन इस प्रकार किया जाएगा कि पर्यावरणीय सुरक्षा, पारिस्थितिकीय संतुलन एवं भू–जल संरक्षण के साथ–साथ वनाश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं वनों की उत्पादकता में वृद्धि की जा सके ताकि वन संसाधनों के विकास के साथ इन समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराया जाकर उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो सके।

## 2. उद्देश्य

राज्य वन नीति के मूल उद्देश्य निम्नसनुसार है :–

2.1 वन/वृक्षाच्छादित क्षेत्र का विस्तार कर भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई करने हेतु प्रयास करना।

2.2 वनों के संवहनीय प्रबन्धन से शासकीय वनों एवं निजी वनाच्छादित क्षेत्र का विकास कर पर्यावरण की स्थिरता तथा पारिस्थितिकीय संतुलन सुनिश्चित करना।

2.3 वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन के लिए हितकारी घटकों बलों तथा तंत्रों को सुदृढ़ करना।

2.4 इमारती काष्ठ, जलाऊ लकडी, बांस, चारे तथा लघु वनोपज के उपयोग का युक्तियुक्तकरण करते हुए इनका अधिकाधिक उत्पादन करना तथा वनाश्रित परिवारों हेतु वनाधारित वैकल्पिक रोजगार की सतत उपलब्धता के लिए वातावरण निर्मित करना।

2.5 काष्ठ की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए 10 प्रतिशत वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबन्धन के अधीन रखना।

2.6 अकाष्ठीय वनोपज , विशेषकर वन औषधियों, का उत्पादन बढ़ाना इनका संवहनीय विदोहन, मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन सुनिश्चित कर वनाश्रित समुदायों की आर्थिक स्थिति बहेतर बनाना।

2.7 कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना विस्तार वानिकी को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में बांस रोपण को बढ़ावा देकर इसे ग्रामीणों की आय का साधन बनाना एवं निजी तथा राजस्व वनाच्छादित क्षेत्रों का लोक वानिकी के क्रियान्वयन से बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित करना।

2.8 वनाधारित उद्योगों द्वारा कच्चे माल का स्वयं उत्पादन करने के लिए आवश्यक वैधानिक वातावरण निर्मित करना तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

2.9 वनों के संवहनीय विदोहन से प्राप्त उत्पादों को केवल आय का स्त्रोत न मान कर इनके उपयोग में स्थानीय समुदायों की सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को प्राथमिकता प्रदान करना।

2.10 वनों से समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर वनाश्रित आदिवासी समुदायों एवं महिलाओं के पर्यावरणीय, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुडाव के दृष्टिगत इन समुदायों के संवहनीय विकास के लिए प्रयास करना।

2.11 अनियंत्रित चराई एवं सिरबोझ से जलाऊ लकडी लाने से वनों को होने वाली क्षति को कम करना।

2.12 शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को बढ़ावा देना।

2.13 जैव विविधता संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन को सुदृढ़ करना, वन्यप्राणियों के प्रबंधन एवं वनवासियों की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी जैव विविधता संरक्षण के उपाय करना।

2.14 प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं वनाश्रित समुदायों के लाभार्थ वन क्षेत्रों में ईको टूरिज्म एवं हर्बल–हैल्थ टूरिज्म का विकास करना।

2.15 वन अनुसंधान एवं विस्तार को वर्तमान परिस्थितियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप दिशा प्रदान करना।

2.16 वन कर्मियों एवं वन समितियों के सदस्यों को पूरी क्षमता एवं लगन के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें समय–समय पर पारम्परिक एवं आधुनिक तकनीक एवं कौशल उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करना।

2.17 वानिकी क्षेत्र में वृहद स्तर पर वनीकरण कार्य हेतु निजी निवेश को आकर्षित करना।

## 3. उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु रणनीति

### 3.1 पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु वन क्षेत्रों का विस्तार तथा विकास

3.1.1 प्रदेश के वनों का एक तिहाई भाग बिगड़ा वन है जिसकी दशा भू–क्षरण एवं घटते पुनरूत्पादन के कारण चिन्ताजनक है। इन क्षेत्रों की विस्तृत सर्वेक्षण से पहचान कर उनका स्थल विशेष की आवश्यकतानुसार उपचार कर वनों को पुनर्स्थापित करने का समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा।

3.1.2 प्रदेश के वृक्षविहीन हो चुके वन क्षेत्रों , जैसे पश्चिमी मध्य प्रदेश के रेगिस्तानी क्षेत्रों, में महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के सहयोग से वृहद स्तर पर वनीकरण कार्य किया जाएगा जिससे पर्यावरण संतुलन स्थापित होंगा, रेगिस्तान का फैलाव रूकेगा तथा स्थानीय समुदायों विशेषकर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।

3.1.3 जल एवं मृदा संरक्षण की दृष्टि से राज्य की नदियों के जलागम क्षेत्रों एवं भू–क्षरण के लिए संवेदनशील क्षेत्रों का उपचार आवश्यक है। अतः इन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण कार्य एवं जल ग्रहण क्षेत्र उपचार (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) कर यथा संभव वृक्षाच्छादित किया जाएगा। इसके लिए योजनाबद्ध रूप से वृहद स्तर पर जन

सहयोग से सघन वन क्षेत्रों में सहायक पुनरूत्पादन कार्य, बिगडे वन क्षेत्रों एवं पड़त भूमि में वनों का सुधार, उपयुक्त स्थानों पर सिंचित वृक्षारोपण एवं विस्तार वानिकी के अंतर्गत प्रक्षेत्र वानिकी (फार्म फॉरेस्ट्री) तथा कृषि वानिकी के द्वारा निजी तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कर वनाच्छादन बढाने का प्रयास किया जाएगा।

3.1.4 निजी भूमि पर उगे हुए वृक्षों को काटने परिवहन करने तथा विपणन करने में वर्तमान में भूमि स्वामिकयों को आ रही वैधानिक अड़चनों को दूर करने के लिए विद्यमान नियमों का आवश्यकतानुसार सरलीकरण किया जाएगा ताकि आम जनता, निजी संस्थाऐं तथा वनों पर आधारित उद्योग विस्तार वानिकी एवं लोक वानिकी हेतु प्रोत्साहित हो सकें।

3.1.5 वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के प्रबन्धन को सुदृढ किया जाएगा एवं इनके बाहर के वन क्षेत्रों में भी जैव विविधता संरक्षण हेतु उपाय किए जायेंगे।

3.1.6 सड़कों, नहरों एवं रेलमार्गों के किनारे तथा पडत भूमि में रोपित वृक्षारोपणों का समुचित प्रबधन और रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इन क्षेत्रों में वृक्षों के संरक्षण हेतु शहरी क्षेत्रों में लागू किए गए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट का विस्तार इन क्षेत्रों पर भी किया जाएगा।

3.1.7 समस्त वन क्षेत्रों एव वनों के बाहर के क्षेत्रों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय स्थायित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

3.1.8 शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन एवं ग्राउण्ड वाटर रीचार्जिंग हेतु ग्रीन बैल्ट विकसित की जाऐगी एवं विद्यमान ग्रीन बैल्ट क्षेत्र के भूमि उपयोग का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3.1.9 पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे अमरकंटक, पचमढ़ी, तामिया, बैतुल एवं निमाड आदि को सूचीबद्ध कर उनका समुचित संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

## 3.2 सीमांकन

3.2.1 वन क्षेत्रों की सीमाओं के समस्त लम्बित विवादों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अतर्गत निराकृत किया जाएगा एवं वनखण्डों का सीमांकन सुनिश्चित किया

जाएगा।नारंगी क्षेत्रों एवं अन्य राजस्व वनों को समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सीमांकित कर उपयुक्त क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाएगा।

3.2.2 वनक्षेत्रों का व्यवस्थापन शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।

3.2.3 वन भूमि के अभिलेखों के संधारण हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा एवं वन अभिलेख संधारण की पृथक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

3.2.4 वन ग्रामों के राजस्व ग्रामों में परिवर्तन होने तक वन ग्रामों में विद्युतीकरण, पहुंच मार्गों तथा पेयजल इत्यादि अन्य मौलिक सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3 वन सुरक्षा

3.3.1 अवैध कटाई

3.3.1.1 वन सुरक्षा विशेषकर अवैध कटाई की रोकथाम से सम्बन्धित वर्तमान प्रणाली, नियमों, अधिनियमों एवं प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण कर उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस हेतु वन कर्मियों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त अधिकार प्रदान किए जायेंगे।

3.3.1.2 वन सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए बेतार तंत्र एवं अन्य संबंधित संचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

3.3.1.3 परिक्षेत्र स्तर तक वनों की सुरक्षा हेतु कार्यरत समस्त अधिकारियों को वाहन एवं अन्य संसाधन प्रदाय किए जायेंगे।

3.3.1.4 संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा बल की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा।

3.3.1.5 वन कर्मियों को वनों की सुरक्षा हेतु शस्त्र उपलब्ध कराए जायेंगे एवं उन्हें उनके उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा।

3.3.1.6 ऐसे क्षेत्रों में वन चौकी व्यवस्था विकसित की जायेगी एवं समूह गश्ती के प्रयास किए जायेंगे।

3.3.1.7 वन सुरक्षा में स्थानीय समुदायों का अधिकाधिक सहयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3.1.8 वन अपराधों के शीघ्र निराकरण हेतु जिला स्तर पर विशिष्ट अदालतों की स्थापना कराने की पहल की जायेगी।

3.3.1.9 वनों से अवैध कटाई करने वालों के साथ ही उनों अवैध कटाई हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

3.3.1.10 अवैध कटाई की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के समीप, बसे ग्रामीणों को ग्राम में ही रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जायेंगे, ताकि वे वनों पर अधिक निर्भर नहीं रहे।

3.3.1.11 अवैध कटाई की सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखते हुए उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा।

3.3.1.12 वनों की सुरक्षा में साहसिक कार्य एवं उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थानीय समुदायों एवं वन कर्मियों की सहायतार्थ क्षेत्रीय स्तर पर कर्मचारी कल्याण संबंधी विशेष योजनाएं लागू की जायेगी।

3.3.2 अतिक्रमण

3.3.2.1 वन क्षेत्रों में अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाया जायेगा तथा भविष्य में वनभूमि पर किसी प्रकार के अतिक्रमण नहीं करने दिए जायेंगे।

3.3.2.2 वनों में अतिक्रमण करने वालों के साथ ही उनको अतिक्रमण हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

3.3.2.3 अतिक्रमित क्षेत्र में वृद्धि रोकने के उद्देश्य से वर्तमान में व्यवस्थापित अतिक्रमित क्षेत्रों को शीघ्रातिशीघ्र स्थायी रूप से सीमांकित किया जायेगा।

3.3.2.4 अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन सहयोग से वृक्षारोपण किया जायेगा।

3.3.2.5 अतिक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील वन क्षेत्रों के समीपवर्ती ग्रामों में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये जायेंगे।

3.3.3 वन भूमि पर उत्खनन एवं अन्य गैर वानिकी कार्य

3.3.3.1 वन क्षेत्रों में उत्खनन सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। नियम विरूद्ध उत्खनन की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा अवैध उत्खनन पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी।

3.3.3.2 वन भूमि का उपयोग उत्खनन हेतु किये जाने पर संबंधित एजेंसी से सम्पूर्ण उत्खनित क्षेत्र का स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुरूप पुनर्वनीकरण कराया जायेगा।

3.3.3.3 सामान्यतः वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यों को अनुमति नहीं दी जायेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार ही गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी।

3.3.3.4 समस्त उत्खनित क्षेत्रों के पुनर्वनीकरण तथा अन्य गैर वानिकी कार्यों हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन के एवज में किए जाने वाले वैकल्पिक वृक्षारोपण में मूल प्रजातियों का रोपण तथा समुचित गुणवत्ता का वनीकरण कार्य सुनिश्चित किया जायेगा।

3.3.3.5 वनों में अवैध उत्खनन करने वालों के साथ ही उनको अवैध उत्खनन हेतु प्रेरित करने अथवा उकसाने वालों के विरूद्ध भी कडी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

3.3.3.6 बिगडे वनों में स्थित उत्खनन क्षेत्रों के प्रबन्धन एवं उपचारण का प्रावधान कार्य आयोजना में सम्मिलित किया जावेगा।

3.3.5 अग्नि प्रबन्धन

3.3.5.1 वनों में अग्नि के उपयोगी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों के दृष्टिगत प्रदेश के वनों में अग्नि के प्रभावों का विस्तृत अध्ययन कर नई अग्नि सुरक्षा की पद्धति विकसित की जायेगी।

3.3.5.2 वन–अग्नि नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग किया जायेगा।

3.3.6 कीटों एवं रोगों से सुरक्षा

वनों में विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं नाशकारी वन कीटों से सुरक्षा हेतु समुचित वन प्रबन्धन प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.4 वन प्रबन्धन

3.4.1 वनों के प्रबन्धन के लिए वैज्ञानिक आधार पर कार्य आयोजनायें तैयार की जायेंगी जिनका समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगी।

3.4.2 समस्त वन क्षेत्रों का प्रबन्धन कार्य आयोजना के अनुसार ही किया जायेगा। अत्यधिक आयु की क्षीण हो चुके जड़ भण्डार वाले क्षेत्रों में रोपण द्वारा उच्च (बीज–जनित) वनों का विस्तार किया जायेगा।

3.4.3 वन प्रबन्ध में वनाश्रित समुदायों के नैसर्गिक जुडाव के दृष्टिगत वन प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य राजस्व आय प्राप्ति न होकर इन समुदायों के हितों को प्राथमिकता प्रदान करना होगा।

3.4.4 प्राकृतिक वन क्षेत्रों में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.4.5 कार्य आयोजना की रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए संयुक्त वन प्रबन्धन के क्षेत्रों की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना तैयार की जायेगी।

3.4.6 वन क्षेत्रों का कम से कम 10 प्रतिशत सघन प्रबन्धन के अधीन रखा जायेगा। इस हेतु अच्छी स्थल गुणवत्ता (Site Quality) के बिगडे वनों का चयन किया जायेगा।

3.4.7 समय–समय पर उपलब्ध आधुनिक तकनीकों का वन प्रबन्धन में अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

3.5 शासकीय वनों में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकडी एवं बांस का उत्पादन

3.5.1 प्रदेश में इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा बांस की मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतर को दूर करने के लिए प्राकृतिक पुनरूत्पादन को बढ़ावा देकर तथा वन वर्द्धन की अद्यतन तकनीकों का उपयोग कर वनों की उत्पादकता बढ़ाई जायेगी।

3.5.2 इमारती काष्ठ का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम से कम 10 प्रतिशत वन क्षेत्र काष्ठ उत्पादन हेतु सघन प्रबन्धन के अधीन रखा जायेगा। इस हेतु अच्छी स्थल गुणवत्ता के बिगडे वन क्षेत्रों का चयन किया जायेगा।

3.5.3 व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण वानिकी प्रजातियों के अनुवांशिक सुधार हेतु ऐसी प्रजातियों के गुणों की पहचान कर बायों–प्रौद्योगिकी की तकनीकों का उपयोग किया जायेगा।

3.5.4 बीहड़ों के विस्तार को रोकने एवं बिगड़े वनों में मृदा तथा जल संरक्षण के लिए इस हेतु उपलब्ध परम्परागत एवं आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायेगा।

3.5.5 ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बांस के महत्व के दृष्टिगत बांस के वनों का विस्तार किया जायेगा तथा विद्यमान बांस वनों के ह्रास को रोकने एवं उनकी उत्पादकता बढाने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगे।

3.5.6 अत्यधिक बिगडे हुए शासकीय वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऐसे वन क्षेत्रों को उनके संपूर्ण भौगोलिक विवरण सहित सूचीबद्ध कर उनमें वनीकरण हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल की जाएगी।

3.6 अकाष्ठीय वनोपज का उत्पादन, संवहनीय विदोहन मूल्य संवर्द्धन एवं विपणन

3.6.1 प्रदेश के वनवासियों के आर्थिक विकास हेतु वन क्षेत्रों एवं वनों के बाहर अकाष्ठीय वनोपज के उत्पादन में वृद्धि एवं उनका संवहनीय तथा विनाशविहीन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.6.2 अकाष्ठीय वनोपज के प्रसंस्करण करने हेतु ग्राम स्तरीय योजनायें क्रियान्वित की जायेगी।

3.6.3 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों एवं संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों के माध्यम से अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण, गोदामीकरण एवं विपणन हेतु सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.6.4 महत्वपूर्ण अकाष्ठीय वनोपज देने वाली प्रजातियों की पहचान कर उनके उत्पादों के संग्रहण एवं मूल्य संवर्द्धन में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से उनके आनुवांशिक प्रलेख एवं सक्रिय घटकों के रसायनिक विश्लेषण संबंधी कार्य प्रारम्भ किए जायेंगे।

3.7 औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं संवहनीय विदोहन

3.7.1 औषधीय प्रजातियों के बढ़ते महत्व एवं स्वदेशी चिकिस्ता हेतु इनकी अत्यधिक मांग के दृष्टिगत शासकीय वनों में औषधीय प्रजातियों का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विनाश विहीन विदोहन किया जायेगा तथा उनके रोपण क्षेत्रों का विस्तार करने हेतु निजी भूमि पर भी उनका बाह्य स्थलीय उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.7.2 औषधीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें सूचीबद्ध किया जाकर इनके आवास स्थलों के संरक्षण एवं संवहनीय विदोहन के लिए विस्तृत योजना तैयार की जायेगी।

3.7.3 औषधीय वनोपज के मूल्य संवर्द्धन हेतु स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को प्रसंस्करण हेतु कौशल एवं तकनीक उपलब्ध कराई जायेगी ताकि स्थानीय जनता के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

3.7.4 अत्यधिक बिगड़े हुए शासकीय वनों में वृहद स्तर पर औषधीय प्रजातियों के रोपण हेतु निजी निवेश को आकर्षित करने की पहल की जायेगी।

3.7.5 औषधीय वनोपज एवं उनके प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित व्यवस्था विकसित की जायेगी।

3.7.6 औषधीय एवं सुगंधित पौधों के उत्पादों में जैव प्रौद्योगिकी की आधुनिक एवं पारम्परिक तकनीकों के माध्यम से उनके अवयवों की गुणवत्ता में सुधार कर मूल्य संवर्द्धन का प्रयाय किया जायेगी।

3.7.7 औषधीय पौधें के औषधीय अवयवों की गुणवत्ता जांच एवं प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी।

3.7.8 औषधीय पौधों के पारंपरिक ज्ञान सम्पन्न व्यक्तियों को सूचीबद्ध कर उनके पारंपरिक औषधीय ज्ञान को अभिलिखित कर उनका समावेश जन स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रमों में किया जायेगा।

3.8 लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी

3.8.1 शासकीय वनों पर दबाव कम करने हेतु लोक वानिकी के माध्यम से निजी भूमि एवं राजस्व वन भूमि पर वानिकी एवं उसके वैज्ञानिक प्रबन्धन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु लोक वानिकी अधिनियम/नियमों का सुदृढीकरण किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर इसमें संशोधन किया जायेगा।

3.8.2 काष्ठ की आवश्यकता की पूति यथा संभव वनों के बाहर से करने हेतु ग्रामीणों/कृषकों को खेतों की मेडों तथा निजी पड़त भूमि पर वृक्ष लगाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उल्लेखनीय कार्य करने वाले कृषकों को पुरस्कृत करने हेतु समुचित योजना लागू की जायेगी। कम जोत वाले छोटे किसानों को वानिकी हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विशेष अनुदान राशि देने का प्रावधान किया जायेगा। परन्तु इसके कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न होने देना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.8.3 पंच 'ज' अवधारण के अनुरूप वृक्षारोपण के प्रति जनता का जुड़ाव सुनिश्चित करने हेतु आम जनता, ग्राम पंचायतों, वन समितियों, अशासकीय संगठनों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से शासकीय वृक्षारोपणों के अतिरिक्त प्रथम चरण में आगामी तीन वर्षों में कम से कम प्रदेश की जनसंख्या के बराबर अतिरिक्त वृक्ष लगाये जायेंगे। इस के उपरान्त सतत् रूप से यह अभियान जारी रखा जायेगा।

3.8.4 विस्तार वानिकी हेतु कृषकों को निजी रोपणी स्थापित कर पौधे तैयार करने हेतु प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा। शेष पौधों एवं बीज की पूर्ति वन विभाग द्वारा की जायेगी।

3.8.5 कृषकों को निजी भूमि पर अधिक से अधिक फलदार एवं खाद्य पदार्थ देने वाली वृक्ष प्रजातियों के रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु उन्हें महुआ, चिरौंजी आदि महत्वपूर्ण फलदार एवं खाद्य प्रजातियों के पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

3.8.6 कृषकों को निजी भूमि में औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.8.7 ग्रामीण क्षेत्रों में काष्ठ की मांग का विकल्प देने एवं बांस को ग्रामीणों की आय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत बनाने के लिए ग्रामीणों को उनके घरों की बाडी में बांस रोपण हेतु प्रेरित किया जायेगा एवं इसके लिए ग्रामीण रोपणियों की व्यवस्था की जायेगी।

3.8.8 जैव इंधन को ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में प्राप्त हो रही मान्यता के दृष्टिगत एनर्जी प्लांटेशन तथा बायो–डीजल देने वाली प्रजातियों, जैसे रतनजोत के रोपण को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.8.9 जलाऊ ईंधन की मांग में कमी लाने के उद्देश्य से ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों, जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, उन्नत चूल्हों आदि के उपयोग को प्रोस्ताहित किया जायेगा। इस हेतु वनों पर आश्रित समुदायों को प्रेरित करने हेतु इन समुदायों, विशेषकर महिलाओं, को सीमित अवधि के लिए कुकिंग गैस, गोबर गैस प्लांट सहित अन्य ऊर्जा के वैकल्पिक साधन रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगे। विद्युत रहित ग्रामों में लैन्टाना, घास, चारे आदि अन्य कृषिजन्य अनुपयोगी उत्पादों से चलाए जाने वाले गैसीफायर/मिनी पावर प्लान्ट स्थापित किये जायेंगे।

3.8.10 निजी क्षेत्रों में वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु आधुनिक तकनीकों, जैसे टिश्यू क्लचर, उन्नत किस्म के बीज एवं पौधें का उपयोग किया जायेगा। प्रजातियों के चयन में किसानों एवं वनाधारित उद्योगों की मांग को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.8.11 विस्तार वानिकी अपनाने वाले किसनों/व्यक्तियों को उनके उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन तथा विपणन हेतु आवश्यक जानकारी एवं कौशल उपलब्ध कराया जायेगा।

3.8.12 विस्तार वानिकी के अंतर्गत निजी भूमि पर उगे सागौन सहित सभी प्रजातियों के वृक्षों को काटने परिवहन करने एवं विपणन करने में वर्तमान में भूमि स्वामी को आ रही अड़चनों को दूर करने हेतु नियमों को इतना सरल किया जायेगा कि कोई भी

किसान/व्यक्ति/उद्योग अन्य कृषि फसलों की तरह ही वृक्षारोपण से प्राप्त वनोपज का विदोहन, परिवहन एवं विपणन कर सकें।

3.8.13 विस्तार वानिकी को प्रोत्साहित करने हेतु ऐसी निजी भूमि, जिस पर वृक्ष उगाये गये हों, का आवश्यकता होने पर शासन द्वारा अधिग्रहण उस भूमि एवं उरा पर खडे वृक्षों का पूर्ण मुआवजा भुगतान करने के उपरांत ही किया जायेगा।

3.8.14 गांवों की अधिवासित भूमि पर फलदार वृक्षों के रोपण के साथ–साथ अन्य उपयोगी प्रजातियों, जैसे रतनजोत, करंज आदि के रोपण को बढ़ावा देने हेतु भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 239 में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

3.9 वनाधारित उद्योग

3.9.1 प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय समुदायों के रोजगार में वनाधारित उद्योगो की महत्वपूर्ण भूमि के दृष्टिगत संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर वनाधारित उद्योगो को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3.9.2 वनाधारित उद्योगो जैसे हर्बल औषधि, लाख उत्पादन, अगरबत्ती काड़ी निर्माण, शहद उत्पादन, बायो डीजल उत्पादन एवं काष्ठ शिल्प आदि की प्रदेश की अर्थ व्यवस्था एवं रोजगार के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं के दृष्टिगत उन उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

3.9.3 वनाधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति स्वयं करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। इस हेतु ऐसा वैधानिक एवं प्रशासनिक वातावरण तैयार किया जायेगा जिससे वनाधारित उद्योग पड़त भूमि पर एवं किसानों के सहयोग से उनकी निजी भूमि पर वनीकरण कर सकें। फिर भी यदि आपूर्ति पूर्ण नहीं हो पाती है तो वन विभाग यथा संभव बाजार मूल्यों पर उक्त मांग की पूर्ति करेगा।

3.9.4 लैण्ड सीलिंग एक्ट एवं अन्य भूमि संबंधी कानूनों में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा ताकि बडे पैमाने पर निजी भूमि पर वनीकरण का कार्य हो सके ताकि निवेशक एवं किसान दोनों ही इस कार्य की ओर आकर्षित हो सकें। परन्तु इसके कारण कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न होने देना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.9.5 छोटे एवं मध्यम कृषकों को मेड़ एवं बंजर भूमि पर उद्योगों के उपयोग में आने वाली प्रजातियां लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। साथ ही शासकीय भूमि, जो

चारागाह हेतु आवश्यक न हो, पर भी उद्योग के लिए उपयोगी प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

3.9.6 कुटीर उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रदाय करने वाली प्रजातियों का रोपण किया जायेगा एवं स्थानीय समुदायों को कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था विकसित की जायेगी।

3.9.7 वनाश्रित उद्योगों को वनीकरण की नई तकनीकों के विकास, उन्नत किस्म के बीज एवं पौधें का उत्पादन, विपणन एवं प्रमाणीकरण करने तथा कृषकों को तकनीकी जानकारी एवं कौशल प्रदाय करने हेतु प्रेरित किया जायेगा। औद्योगिक उपयोग की वनोपज के विपणन हेतु मंडी व्यवस्था स्थापित करने की पहल की जायेगी।

3.9.8 संयुक्त वन प्रबन्धन के अन्तर्गत गठित समितियों एवं इन समितियों के माध्यम से प्रबन्ध किए जा रहे वन क्षेत्रों में पायी जाने वाली प्रजातियों पर आधारित उद्योगों के बीच उपयुक्त साझेदारी विकसित की जायेगी।

3.9.9 वनाधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने, पर्यावरण प्रदूषण कम करने एवं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिए वन भूमि के बाहर वनीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं उद्योगों को कृषि की दृष्टि से अनुपयुक्त शासकीय भूमि, जो स्थानीय समुदायों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग न की जा रही हो, को सरल शर्तों पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.10 संयुक्त वन प्रबन्धन

3.10.1 वनों के बेहतर संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा ग्रामीणों की वनाधारित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि के अन्दर स्थित सभी ग्रामों में ग्राम वासियों को समितियां गठन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा तथा पूर्व से गठित समितियों को सुदृढ़ किया जायेगा। सभी समितियों में सदस्यों एवं अध्यक्षों की संख्या में महिलाओं को कम से कम 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

3.10.2 वन समितियों की सूक्ष्म प्रबन्ध योजना के अनुसार ग्रामीण विकास से सम्बन्ध विभिन्न विभागों के साथ ग्रामीण विकास कार्यों का समन्वय किया जायेगा।

3.10.3 समितियों के द्वारा अर्जित आय से वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था एवं इस हेतु आवश्यक कौशल प्रदाय किया जायेगा।

3.10.4 समितियों के सशक्तीकरण के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

3.10.5 ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के जैव संसाधनों से संबंधित पारम्परिक ज्ञान एवं विधियों के उपयोग एवं विकास हेतु इन समुदायों और वन समितियों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी स्थापित कर वन प्रबन्धन में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.10.6 समितियों को उत्तरदायित्वों के प्रत्यायोजन के साथ ही वन अपराधों की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुसार वैधानिक अधिकार भी दिए जायेंगे।

3.10.7 वन कर्मियों एवं सुंयक्त वन प्रबन्ध समितियों के सदस्यों के बीच सौहार्द एवं सामन्जस्य स्थापित करने के लिए संयुक्त कार्यशालाएं की जायेंगी।

3.10.8 संयुक्त वन प्रबन्ध समिति के क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव–भौगोलिक स्थल विशेष पादप प्रजातियों उनके उत्पादों एवं प्रसंस्करण की विधियों का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स (रजिस्ट्रेशन एण्ड प्रोटेक्शन) एक्ट, 1999 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जायेगा ताकि इनका अन्यत्र उपयोग किये जाने पर उसका लाभ उस क्षेत्र के निवासियों को हो सके।

3.11 अधिकार एवं रियायतें (निस्तार)

3.11.1 प्रदेश के वनों से स्थानीय लोगों की ईंधन, बांस–बल्ली एवं हल–बक्खर इत्यादि वनाधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रचलित निस्तार व्यवस्था को संवहनीय बनाया जायेगा तथा उसे उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर पूरे वर्ष जारी रखा जायेगा।

3.11.2 पात्र हितग्रहियों को निस्तार सामग्री प्रदाय करने में परिवहन व्यय कम करने हेतु निस्तार सामग्री यथा संभव उनकी सुविधानुसार कूप से ही प्रदाय की जायेगी।

3.11.3 वनों में गिरी पड़ी सूखी जलाऊ लकड़ी उपलब्धता के आधार पर वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में ही स्थित ग्रामवासियों को घरेलू उपयोग हेतु सिरबोझ से लाने की अनुमति दी जायेगी। इस हेतु पात्र ग्रामीणों की पहचान कर सूचीबद्ध किया जायेगा।

3.11.4 सिरबोझ से लकड़ी काट कर लाने से वनों को होने वाली हानि को कम करने हेतु ऐसे व्यक्तियों को सिरबोझ की प्रथा से दूर करने के लिए वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.11.5 लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी के माध्यम से ग्राम वासियों की वनोपज संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों पर निर्भरता कम किए जाने के प्रयास किए जायेंगे।

3.12 वनाश्रित समुदायों का विकास

3.12.1 आदिवासी समुदायों के वनों के संरक्षण में योगदान एवं उनके वनों से आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव के दृष्टिगत इन समुदायों का सर्वांगिण विकास किया जायेगा। इस हेतु अन्य विभागों, जैसे ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन, आदिम जाति विकास आदि, के द्वारा संचालित विकास योजनाओं से उन्हें लाभान्वित कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.12.2 वनाश्रित समुदायों का विकास अन्त्योदय सिद्धान्त के आधार पर निर्धनतम परिवारों से प्रारम्भ कर किया जायेगा।

3.12.3 वन क्षेत्रों के समीप स्थित गांवों का विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

3.12.4 वनाश्रित समुदायों की उनकी आवश्यकता की खाद्य सामग्री जुटा पाने की असमर्थता के दृष्टिगत वानिकी कार्यों एवं अन्य श्रमाधारित कार्यों में ऐसे समुदायों के लिए समस्त क्षेत्रों में यथा संभव आवश्यकतानुसार पूरे वर्ष काम के बदले अनाज योजना लागू की जायेगी।

3.12.5 वनाश्रित समुदायों को वन अपराधियों एवं नक्सलवादियों के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए इन क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार मूलक विकास योजनाएं लागू करने की पहल की जायेगी।

3.12.6 वन क्षेत्रों एवं उनके समीप स्थित गांवों में परिवहन सुविधाओं के विकास की पहल की जायेगी।

3.13 वनाश्रित आदिवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण

3.13.1 आदिवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित कर वन प्रबन्धन एवं उससे मिलने वाली आय में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

3.13.2 आदिवासियों, भूमिहीनों एवं महिलाओं को वैकल्पिक स्वरोजगार हेतु वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिलाने के लिए आवश्यक वैधानिक व्यवस्था की जायेगी।

3.13.3 महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु अधिक से अधिक स्व–सहायता समूहों का गठन कर उन्हें आधारित कुटीर उद्योगों से जोडने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.14 जैव विविधता संरक्षण

3.14.1 जैव विविधता समृद्ध स्थलों की पहचान कर उन्हें जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर विकसित किया जायेगा।

3.14.2 प्रदेश के समस्त वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के बाहर (सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में) विद्यमान जैव विविधता का ' जैव विविधता अधिनियम 2002' के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण किया जायेगा।

3.14.3 समस्त वन क्षेत्रों की कार्य आयोजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जायेगा।

3.14.4 शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की पहचान कर उनका समुचित संरक्षण एवं विकास किया जायेगा। साथ ही उपयुक्त उपलब्ध क्षेत्रों में बॉटैनिकल गार्डन एवं जूलॉजिकल पाक्र स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.14.5 जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत जैविक संसाधनों के ज्ञान एवं उनके संवहनीय उपयोग से होने वाले लाभों में इन समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

3.15 वन्य प्राणी संरक्षण

3.15.1 भारतीय वन्यजीव संस्थन की अनुशंसा के अनुसार प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों ) का विस्तार किया जायेगा । इस हेतु पारिस्थितिकीय रूप से समृद्ध क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जायेगा। परन्तु समीपस्थ वनाश्रित समुदायों से टकराव कम करने हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे विस्तार से इन समुदायों की वनाधारित आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

3.15.2 संरक्षित क्षेत्रों के प्रबधन एवं अन्य क्षेत्रों में वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाया जाकर सुप्रशिक्षित विशेषज्ञों का संवर्ग विकसित किया जायेगा।

3.15.3 नये संरक्षित क्षेत्र घोषित करते समय भारत शासन के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (संशोधित 2002 ) में प्रावधानित संरक्षित क्षेत्रों की नयी श्रेणियों अर्थात, संरक्षण क्षेत्र (Conservation Reserve) एवं सामुदायिक क्षेत्र (Community Reserve) को पर्याप्त स्थान दिया जायेगा ।

3.15.4 संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन प्रबंध योजना तैयार कर ही किया जायेगा जिसमें वन्य प्राणियों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

3.15.5 जिन वन क्षेत्रों के संरक्षित क्षेत्र घोषित होने के कारण स्थानीय समुदाय उनके उपयोग से वंचित हो गये हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिसके लिये आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत शासन से कराने का प्रयास किया जायेगा ।

3.15.6 संरक्षित क्षेत्रों के बाहर के वन क्षेत्रों की कार्य आयोजनाओं के निर्माण में भी वन्य प्राणियों के संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3.15.7 संरक्षित्र क्षेत्रों एवं अन्य वन क्षेत्रों में सूख चुके प्राकृतिक जल स्त्रोतों को पुनर्जीवित किया जायेगा तथा प्राकृतिक रूप से वहां पायी जाने वाली वन्य प्राणी प्रजातियों की आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम जल स्त्रोतों का निर्माण किया जायेगा।

3.15.8 वन्य प्राणी स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं उनमें संक्रामक रोगों की राकथाम हेतु समुचित व्यवस्थ की जायेगी। इस हेतु आवश्यकतानुसार वन्य प्राणियों को खुराक की व्यवस्था एवं उपयुक्त स्थानों पर वाइल्ड लाइफ हैल्थ मानिटरिंग, डिजीज डायग्नोस्टिक रिसर्च सैल स्थापित किये जायेंगे।

3.15.9 वन्य प्राणियों में मवेशी जनित रोगों के संक्रमण के रोकथाम हेतु वैटनरी विभाग के साथ समन्वय कर प्रति वर्ष मवेशियों का टीकाकरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3.15.10 संरक्षित क्षेत्रों की निरंतरता एवं वन्य प्राणियों की अनुवांशिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों के बीच कोरीडार की पहचान कर उनका युक्तियुक्त प्रबंधन किया जायेगा।

3.15.11 वन्य प्राणी–मानव द्वंद को कम करना

3.15.11.1 जैव विविधता बहुल क्षेत्रों एवं विलुप्तप्रायः वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण एवं रहवास क्षेत्रों को संरक्षित करने की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों के हितों पर प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम किये जाने हेतु

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की सीमाओं पर स्थित ग्रामों को विस्थापित न कर सीमाओं को युक्तियुक्तकरण किया जायेगा।

3.15.11.2 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करायी जायेगी।

3.15.11.3 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारणयों के अंदर स्थित ग्रामों को उनमें रहने वाले ग्रामीणों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करते हुये अन्यत्र बसाया जायेगा।

3.15.11.4 संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा में ग्रामीणों का योगदान सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के अंदर एवं सीमा पर स्थित ग्रामों में ईको–विकास के समन्वत कार्यक्रम को गति प्रदान की जायेगी।

3.15.11.5 वन्य प्राणियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों को किये जाने वाले नुकसान को कम करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में खेतों के आस–पास पत्थर की दीवार, इलैक्ट्रिक फैसिंग आदि लगाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं इसहेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों की सीमा पर अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में शासन द्वारा फैसिंग कार्य कराया जायेगा ।

3.15.11.6 जनहानि एवं पशुहानि के प्रकरणों में मुआवजे के त्वरित भुगतान की व्यवस्था की जायेगी ।

3.15.11.7 वन्य प्राणियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों को की जाने वाली हानि का आंकलन करने की व्यवस्था एवं हानि का मुआवजा देने का प्रावधान किया जायेगा तथा बीमा कंपनियों के सहयोग से फसल सुरक्षा योजना लागू करने का प्रयास किया जायेगा । इस हेतु धनराशि की मांग केंद्र शासन से की जायेगी।

3.15.11.8 वन क्षेत्रों से भंटक कर आवादी वाले क्षेत्रों में आ जाने वाले वन्य पशुओं को पकडकर वापस वन क्षेत्रों में छोडने के लिए उपयुक्त स्थानों पर आधुनिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित अमले से सुसज्जित वाईल्ड ऐनिमल ऐस्क्यू मोबाईल स्क्वाडस का गठन किया जायेगा।

3.15.12 वन्य प्राणियों के अवैध शिकार की रोकथाम

3.15.12.1 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वन्य प्राणियों के अवयवों की निरंतर बढती मांग के कारण इनके शिकार एवं तस्करी की बढती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जायेगा । प्रदेश में स्थापित किए गए टाइगर सैल एवं एंटी–पोचिंग स्क्वाडस को और अधिक सशक्त किया जायेगा।

3.15.12.2 वन्य प्राणियों के अवैध शिकार के प्रकरणों में न्यायालय में आवश्यक प्रमाण उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त स्थानों पर वन्य प्राणी फॉरेन्सिक प्रयोगशलायें स्थापित की जायेगी।

3.15.12.3 वन्य प्राणी अवयवों के अवैध शिकार एवं उनके अवयवों की तस्करी रोकने के लिए वन्य प्राणी अपराध प्रकरणों एवं अपराधियों का डाटाबेस तैयार किया जायेगा एवं सीमावर्ती राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

3.15.12.4 वन्य प्राणी अपराध की सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखते हुए उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.15.12.5 वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में साहसिक एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं एवं वन कर्मियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया जायेगा।

3.16 ईको–टूरिज्म

3.16.1 जन साधारण में प्रकृति के प्रति लगाव उत्पन्न करने, विशेषकर उन्हें वन्यप्राणियों एवं संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने, के लिए संरक्षित क्षेत्रों तथा इनके बाहर उपयुक्त वनक्षेत्रों में ईको–टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.16.2 ईको–टूरिज्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु ऐसे क्षेत्रों के लिए पहुंच मार्गों का समुचित विकास किया जायेगा।

3.16.3 ईको–टूरिज्म की मुख्य अवधारणा के अनुरूप पर्यटन का स्वरूप प्राकृतिक संसाधानों के संरक्षण पर्यावरणीय सुरक्षा एवं सामाजिक अनुकूलता के साथ–साथ वनाश्रित समुदायों को पर्यटन से होने वाले लाभों में सहभागी बनाने वाला होगा।

3.16.4 सुविख्यात संरक्षित क्षेत्रों के ऊपर पर्यटन का दबाव कम करने हेतु अधिक से अधिक अन्य संरक्षित क्षेत्रों एवं बाहर के वनों में राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप ईको–टूरिज्म का विकास किया जायेगा।

3.16.5 वन क्षेत्रों में ईको–टूरिज्म का विकास ईको–टूरिज्म प्रबंध योजना तैयार कर उसके अंतर्गत ही किया जायेगा । ईको–टूरिज्म प्रबंध योजना में प्राकृतिक संसाधनों, जैसे पानी एवं ऊर्जा, के संरक्षण तथा वेस्ट डिस्पोजल के लिये स्पष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जायेगा।

3.16.6 वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक, पुरातत्व अथवा ऐतिहासिक महत्व की धरोहर, जैसे – देवी–देवताओं की प्रतिमायें, प्राचीन मूर्तियां, शैल चित्र, जीवाश्म, ऐतिहासिक किले आदि, को सूचिवद्ध कर अभिलेखित किया जायेगा तथा उनका जीर्णोद्धर एवं संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

3.16.7 ईको–टूरिज्म को अधिक आकर्षक एवं प्रभावी बनाने के उददेश्य से समस्त ईको–टूरिज्म क्षत्रों में इंटरप्रैटेशन सैंटर बनाये जयेगें। साथ ही स्थानीय शिक्षित ग्रामीणों को इस विधा में प्रशिक्षित कर व्यक्तिगत इंटरप्रैटेशन को बढावा दिया जायेगा जिससे न केवल पर्यटक लाभान्वित होंगे अपितु ऐसे ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

3.16.8 संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ वन क्षेत्रों पर जैविक दबाव एवं प्रदूषण को न्यूनतम रखने हेतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा पर व्यवसायिक गतिविधियों को सुनियोजित विकास किया जायेगा।

3.16.9 ईको–टूरिज्म से प्राप्त आय को पर्यटन प्रंबधन, इंटरप्रैटशन एवं ईको–विकास के कार्यो पर व्यय करने को प्राथमिकता दी जायेगी।

3.16.10 पर्यटन प्रबंधन हेतु संरक्षित क्षेत्रों में विशिष्ट अमला संविदा पर रखा जायेगा ताकि सामान्य अमले को इस कार्य पर लगाने के कारण संरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था प्रभावित न हो।

3.16.11 ईको–टूरिज्म से वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के सतत अनुश्रवण के लिये प्रक्रिया का निर्धारण कर समुचित व्यवस्था की जायेगी ताकि प्रतिकूल प्रभावों को नियंत्रण एवं न्यूनतम किया जा सके।

3.17 सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

3.17.1 वन प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने तथा वनकर्मियों की कार्यक्षमता बढाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा।

3.17.2 वन प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर सूचना के त्वरित आदान –प्रदान हेतु समुचित संख्या में कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उपलब्ध कराकर उनकी नैटवक्रिग की जायेगी।

3.17.3 वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफ एम आई एस) को सुदृढ किया जायेगा।

3.17.4 वन प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं के निर्माण में सैटेलाइट ईमेजरी एवं जी0आई0एस0 जैसे आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

3.17.5 वन एवं पर्यावरण प्रबंधन से जुडी ऐसी संस्थाओं, जो सूचना प्रौद्योगिक का उपयोग कर रही हों, के साथ समन्वय स्थपित कर सूचनाओं, साफ्टवेयर एवं आधुनिक तकनीकों के आदान–प्रदान हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।

3.18 अनुसंधान एवं विस्तार

3.18.1 वनों की उत्पादकता बढाने के लिये वन प्रबंध तकनीकों में सुधार हेतु सतत् अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.2 जैव प्रौद्योगिक के क्षेत्र में नवीन अन्वेषणों का उपयोग वनों की उत्पादकता बढाने हेतु किया जायेगा इस हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3.18.3 स्थनीय बहुपयोगी प्रजातियों के पुनरूत्पादन की विधियों के विकास हेतु अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.4 विभिन्न वन क्षैत्रों में वनीकरण किये जाने से पूर्व वन क्षेत्रों की मृदा की रसायनिक जांच कर उपयुक्त प्रजातियों का निर्धारण किया जायेगा।

3.18.5 उच्च गुणवत्ता के बीज रोपण सामग्री एवं आधुनिक रोपण तकनीकों का विकास किया जायेगा।

3.18.6 समस्त वन अनुसंधान एवं विस्तार केंद्रो को सुदृढ किया जायेगा तथा इनके द्वारा उन्नत पौधो, बीज आदि के विक्रय एवं वनाधारित उद्योगों तथा कृषकों को प्रदाय की गई तकनीकी जानकारी एवं प्रशिक्षण से प्राप्त आय का उपयोग इन केंद्रों को आत्म निर्भर बनाने हेतु किया जायेगा।

3.18.7 बीहड, पडत भूमि एवं तीव्र ढ़लान वाले क्षेत्रों के समुचित उपयोग हेतु स्थल विशेष तकनीकों का विकास किया जायेगा।

3.18.8 वनाधरित उद्योगों के सहयोग से औद्योगिक कच्चा माल उपलध कराने हेतु उन्नत किस्म की पौध तैयार करने की दिशा में अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.9 निजी तथा व्यापारिक उपयोग की विभिन्न अकाष्ठीय वनोपज एवं औषधीय पौधों के आवास स्थलों तथा उनके विदोहन की वर्तमान विधियों को सूचिबद्व किया जाकर इनमें सुधार हेतु अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.10 विभिन्न औषधीय प्रजातियों के उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हेतु जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने के लिये सतत अनुसंधान किया जायेगा। इस हेतु विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों का भी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

3.18.11 औषधीय पौधों के उत्पादों के प्रभावी विपणन हेतु मार्केटिंग रिसर्च की अधोसंरचना तैयार कर अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.12 वन क्षेत्रों में चराई की धारक क्षमता निर्धारण हेतु विस्तृत अनुसंधान किया जायेगा।

3.18.13 वनों पर अग्नि के प्रभाव का अध्ययन कर विभिन्न वन क्षेत्रों के लिये अग्नि प्रबंधन मार्गदर्शिका तैयार की जायेगी।

3.19 मानाव संसाधन विकास

3.19.1 वन कर्मियों एवं समितियों के सदस्यों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल और उचित कार्य वातारवण प्रदान करने हेतु समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

3.19.2 वनकर्मियों एवं जनता की विचारधारा में ऐसा परिवर्तन लाने के किये कि उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो सकें, संयुक्त कार्य शालाओं का आयोजन किया जायेगा।

3.19.3 समस्त वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन कर उन्हें वनकर्मियों, वन समितियों के सदस्यों, किसानों एवं वनाधारित उद्योंगो के कर्मियों को प्रशिक्षण देने हेतु सक्षम बनाया जायेगा।

3.19.4 वनकर्मियों, वन समितियों के सदस्यों एवं आम जनता को वानिकी के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित करने हेतु सुदूर प्रशिक्षण प्रणाली का अधिकाधिक उपयोग किया जायेगा।

3.19.5 वन कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकता का आंकलन (ट्रेनिंग नीड एनैलीसिस ) कर संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किये जायेंगे।

3.19.6 विदेश प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अर्जित ज्ञान को विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों, विशेषकर निचले स्तर के वन कर्मियों, तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

3.19.7 विभिन्न स्तर के वन कर्मियों को सूचना प्रौद्योगिकी का विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसे उपयोग करने हेतु उनमें सकारात्मक मनोवृत्ति विकसित की जायेगी।

3.19.8 विभिन्न विषयों पर प्रशिषण आयोजित करने कें लिये प्रशिक्षण संस्थाओं, विषय विशेषज्ञों, प्रशिषण सामाग्री तथा प्रशिक्षणाथियों की प्रशिक्षण आवाश्यकताओं का डाटाबेरा तैयार करने हेतु मानव संसाधन विकास सूचना प्रणाली विकसित की जायेगी।

3.19.9 विभाग के निचले स्तर के वन कर्मियों का मनोबल बढ़ाने, उन्हें भय मुक्त काय्र वातावरण प्रदान करने तथा प्रशासन में उन्हें अपने महत्व का आभास कराने हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अधिकाधिक संपर्क एवं संबाद सुनिश्चिम किया जायेगा।

3.19.10 विभाग के विभिन्न संवर्गों में नियमित भर्ती एवं उनकी सामयिक पदोन्नति हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी।

3.19.11 वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्द्धन में उत्कृष्ट एवं साहसिक कार्य करने वाले वन कर्मियों को विशेष पदोन्नति प्रदान कर प्रोत्साहित किया जायेगा।

3.19.12 सुदूर एवं दुर्गम स्थानों पर पदस्थ वनकर्मियों के परिवारों को समुचित आवासीय व्यवस्था एवं आधारभूत शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उपयुक्त स्थानों पर आवासीय एवं छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे वनकर्मियों के आश्रितों को आदिवासी छात्रावासों में भी प्रवेश की अनुमति दिलायी जायेगी।

3.19.13 संवेदनशील एवं दुर्गम स्थलों पर पदस्थ कार्यपालिक कर्मचारियों की कठिन कार्यस्थिति एवं खतरों के दृष्टिगत उनके लिए समूह बीमा योजनायें लागू की जायेंगी।

3.19.14 वानिकी कार्यों में लगे श्रमिकों एवं उनके परिवारों को केन्द्र सरकार के अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अनुरूप पेयजल, प्राथमिक स्वास्थय, मूलभूत शिक्षा इत्यादि आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने की पहल की जायेगी।

3.19.15 अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों पर होने वाले प्रतिकूल जैविक दबाव को कम करने हेतु स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय कर जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु सक्रिय पहल की जायेगी।

3.20 प्रचार–प्रसार

3.20.1 वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के प्रति जन साधारण में जागरूकता लाने एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाने हेतु विभिन्न संचार माध्यमों का अधिकाधिक उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

3.20.2 लोक वानिकी एवं विस्तार वानिकी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु इनकी विस्तृत जानकारी कृषकों को उपलब्ध करायी जावेगी । इस हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के साथ–साथ वन विस्तार कर्मियों एवं कृषि विस्तार आधिकारियों को भी व्यक्तिगत संपर्क हेतु भेजा जायेगा।

3.20.3 विभिन्न स्तरों के शैक्षणिक पाठयक्रमों में वन एवं पर्यावरण संरक्षण का महत्व दर्शाने वाले विषयों को सम्मिलित कराया जायेगा।

3.20.4 शैक्षणिक संस्थाओं में नेचर क्लब स्थापित करने के प्रयास किये जायेगें तथा संरक्षित क्षेत्रों एवं विशिष्ट वन क्षेत्रों में एक्सकर्शन एवं नेचर कैंप आयोजित किये जायेंगा।

3.20.5 विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं ग्राम पंचायतों सार्वजनिक स्थानों एवं मेलों जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में चलचित्रों नुक्कड नाटकों चित्रकला निबंध एवं वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि के माध्यमों से जनता में जागरूकता उत्पन्न की जायेगी।

3.20.6 वन वन्य प्राणी एवं पर्यावरण के प्रकम जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने हेतु प्रशासन कर्मियों पुलिस कर्मियों,न्यायविदों,सैन्य कर्मियों, जन प्रतिनिधियों एवं गैर शासकीय संस्थाओं के साथ संयुक्त कार्यशालाऐं आयोजित की जायेगी।

3.20.7 ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों, जैसे बायोगैस, सौर ऊर्जा, गैसीफायर, उन्नत चूल्हे इत्यादि, के उपयोग को व्यापक रूप से प्रचारित किया जायेगा। सभी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों में इन्टरप्रैटेशन सैन्टर स्थपित किये जायेंगे। पूर्व से स्थपित सैंटरों का उन्नयन किया जायेगा। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधा हेतु स्थानीय शिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर गाइड उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

3.21 वित्तीय व्यवस्था

3.21.1 प्रदेश के बजठ में वानिकी के महत्व के अनुरूप वित्तीय प्रावधान बढाने के प्रयास किये जायेंगे।

3.21.2 केंद्र शासन से प्रदेश के लिये वानिकी क्षेत्र में प्रदेश के वन क्षेत्र के अनुपात में बजट आवंटन कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.21.3 वनो से होने वाले प्रत्येक एवं परोक्ष लाभों का मूल्यांकन कर उनका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान निर्धारित करनें के लिये नेचुरल रिसोर्स एकाउंटिंग सिस्टम विकसित किया जायेगा । इसके आधार पर केंद्र शासन से राष्ट्रीय बजट में प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु समानुपातिक प्रावधान कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.21.4 उपयुक्त क्षेत्र में सघन वानिकी कार्य किये जाने के लिये सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य शासन एवं केंद्र के सहयोग से मध्य प्रदेश वन वित्त निगम की स्क्षापना की जायेगी।

3.21.5 राज्य के विभिन्न विभागों एवं केंद्र शासन की वन संवर्धन में सहायक विकास योजनाओं को वन क्षेत्रों एवं उनके समीप केन्द्रित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.21.6 केंद्र शासन से लकडी के आयात पर वन विकास उपकर लगाकर समानुपातिक हिस्सा मध्य प्रदेश को दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

3.21.7 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के समुचित प्रयास किए जायेंगें।

3.21.8 प्रदेश में वनों के विकास के लिये निजी व्यक्तियों /संस्थाओं से धनराशि जुटाने हेतु ग्रीन मध्यप्रदेश फंड स्थापित किया जायेगा । इस फंड में योगदान करने वाले निजी व्यक्तियों/संस्थओं को योगदान की राशी पर आयकर में छूट का प्रावधन कराने का प्रयास किया जायेगा।

3.21.9 वन्य प्राणी संरक्षण हेतु मध्यप्रदेश टाइगर फाउन्डेशन सोसायटी तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों की विकास निधि से भी राशि एवं संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.21.10 ईको – टूरिज्म से प्राप्त आय को पुनर्चक्रित कर ईको–विकास वन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन तथा इंटरप्रैटेशन कार्यो हेतु उपयोग किया जायेगा।

4. अनुश्रवण एवं मूल्याकन व्यवस्था

राज्य वन नीति के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु इसका समयबद क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विकसित की जायेगी । इसके अंतर्गत इस नीति में वर्णित विभिन्न गतिविधियों के सबंध में समुचित मानक एवं सूचकों (क्राइटेरिया एण्ड इंडिकेटर्स) का निर्धारण कर समय–समय पर समीक्षा की जायेगी।